

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2014/डी- 2011-41

दिनांक 23-6-14

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में जोन-2 क्षेत्राधिकार की निम्नांकित योजनाएं नगर निगम जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव (जैसे सडकों, नालियों, पार्को, इत्यादि) के लिए हस्तांतरित की जाती है :-

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	कुल पत्रावलिया
1	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-1 (कैलाशपुरी)	108
2	जलमहल	स्कीम नम्बर-3 (माधवदास कॉलोनी)	84
3	भारत भवन	स्कीम नम्बर-1 (संजय कॉलोनी)	89
4	स्वर्णकार	स्वर्णकार कॉलोनी	150
5	गुलावबाडी	दुर्गा कॉलोनी विस्तार	42
6	तोपखानादेश	स्कीम नम्बर-4 (संजय कॉलोनी)	16
7	दी जयपुर वाल्मिकी	धीर विहार	55
8	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-13 (कृष्णा नगर) A+B	59
9	जलमहल	स्कीम नम्बर-5	33
10	लक्ष्मीनारायणपुरी	बजरंग कॉलोनी	33

उपरोक्त दर्जित योजनाओं की शहरी जमाबन्दी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
13. रक्षी पत्रावली।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

-29-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2014/डी-1940

दिनांक 10/6/2014

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में जोन-2 क्षेत्राधिकार की निम्नांकित योजनाएं नगर निगम जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव (जैसे सडकों, नालियों, पार्को, इत्यादि) के लिए हस्तांतरित की जाती है :-

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	कुल पत्रावलिया
1	श्री गोविन्द	गोविन्द नगर विस्तार	144
2	सुभाष सिंधी	शिवाजी कॉलोनी	25
3	खुदाबादी सोनार	जिया कॉलोनी	25
4	जलमहल	स्कीम नम्बर-7, चार दरवाजा (एच.आर.कॉलोनी)	19
5	माधव	शफाकत कॉलोनी	32
6	लक्ष्मीनारायणपुरी	सन्ता सागर	42
7	जलमहल	स्कीम नम्बर-2, चार दरवाजा	17
8	दी राजहंस	राजहंस कॉलोनी, स्कीम नम्बर-3	106
9	जलमहल	स्कीम नम्बर-6 व 6ए, पंजाबी कॉलोनी	70
10	माणिक्यपुरी	शंकर नगर, स्कीम नम्बर--10	460
11	माणिक्यपुरी	शंकर नगर विस्तार	92
12	आदर्श	स्कीम नम्बर-1, तुलसी नगर	92

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमाबन्दी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

sd.

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
13. रक्षी पत्रायली।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

19 - जोन 2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2014/डो-1895.

दिनांक 3/4/2014

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में जोन-2 क्षेत्राधिकार की निम्नांकित योजनाएं नगर निगम जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव (जैसे सड़कों, नालियों, पार्को, इत्यादि) के लिए हस्तांतरित की जाती है :-

क्र.सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	कुल पत्रावलिया
1	अपोलो	नूर कॉलोनी	15
2	अपोलो	टोमावती	09
3	अपोलो	रहीम नगर	10
4	श्री गोविन्द	आनन्द कॉलोनी-प्रथम	20
5	श्री गोविन्द	आनन्द कॉलोनी-द्वितीय	41
6	जलमहल	चौधरी कॉलोनी	15
7	श्री गोविन्द	आनन्द कॉलोनी-तृतीय	16
8	गुलाबवाडी	हबीब कॉलोनी	5
9	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-8	17
10	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-2, अर्जुन कॉलोनी	45
11	लक्ष्मीनारायणपुरी	घनश्याम कॉलोनी	20
12	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-12, गुर्जरघाटी	17
13	जलमहल	शाबीर कॉलोनी	11
14	न्यू लाइट	स्कीम नम्बर-1	20
15	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-12ए, बोहरा जी का बाग	13
16	लक्ष्मीनारायणपुरी	दरगाह बस्ती	24
	माणिक्यपुरी	स्कीम नम्बर-11, सैयद कॉलोनी	8
	दी राजहस	स्कीम नम्बर-1	11
	श्री गोविन्द	सीताराम कॉलोनी	16
	जलमहल	स्कीम नम्बर-3, जियाउद्दीन कॉलोनी (चार दशवाजा)	29

21	प्रताप नगर	स्कीम नम्बर-6	37
22	प्रताप नगर	स्कीम नम्बर-9	54
23	प्रताप नगर	स्कीम नम्बर-3ए	6
24	श्री गोविन्द	नरवरपुरी	62
25	श्री गोविन्द	गोविन्दपुरी पूर्व	65

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमाबन्दी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

संलग्न : योजना की मूल पत्रावली एवं जारी लीज डीड
भूखण्डों की पत्रावलिया परिशिष्ट अ पर संलग्न सूची अनुसार।

(पवन अरोडा)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुनर्वास), जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।

(पवन अरोडा)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पवन अरोडा
4/6/14

पवन अरोडा
4/6/14

पवन अरोडा
4/6/14

पवन अरोडा
4/6/14

पवन अरोडा
4/6/14

पवन अरोडा
4/6/14

पवन अरोडा
4/6/14